



165

कार्यालय, जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, हाजीपुर वैशाली।

पत्रांक:- 169

दिनांक:- 08.02.2023

मोबाईल नं०:-9473191926

दूरभाष सं० :-06224 - 274055

ई-मेल:- co-hg-vaishali-bih@gov.in

firestationhajipur101@gmail.com

प्रेषक :-

जिला समादेष्टा,

-सह-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
हाजीपुर वैशाली।

सेवा में,

सुरजदेव मैमोरियल स्कूल  
बारागमली  
हाजीपुर

प्रसंग :-बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के अध्याय-iv के नियम-15, राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के प्रावधानानुसार, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय का ज्ञापांक-3350, दिनांक-08.07.2022, ज्ञापांक-3747, दिनांक-15.07.2022 एवं इस कार्यालय का अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन का पत्रांक- 24 एवं दिनांक-13.01.2023।

विषय:- अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट) के उपरान्त उसका अनुपालन करने के संबंध में महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि आपके संस्थान में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के प्रावधानानुसार दिनांक-16.01.2023क अग्निशामालय पदाधिकारी-प्रभारी/गठित अंकेक्षण समिति (फायर ऑडिट कमिटी) द्वारा प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनुपालन हेतु अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट) किया गया है (अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न)।

अग्नि अंकेक्षण समिति द्वारा आगलगी की घटनाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं **Exit Plan, Evacuation Plan** आदि के संबंध में आपके प्रतिष्ठान में किये गये प्रबंध का प्रावधानानुरूप जाँच कर अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गए अनुपालन हेतु सुझाव एवं परामर्श को यथाशीघ्र अनुपालित करते हुए उसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन का समयक गुणवत्ता जाँचोपरान्त आपके संस्थान के हिताहित में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके।

निदेशानुरूप एवं प्रावधानानुरूप शुल्क राशि समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही निर्धारित शुल्क राशि का डी0 डी0 समर्पित करेंगे।

उच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन  
सत्यजित प्रसाद  
08-2-23  
जिला समादेष्टा,

-सह-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
हाजीपुर, वैशाली।

कार्यालय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी हाजीपुर, वैशाली।

ज्ञापांक- 169

दिनांक- 08.02.23

प्रतिलिपि:-

01. जिला पदाधिकारी, वैशाली को कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित।
02. सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित।
03. अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी हाजीपुर, महुआ एवं महनार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
04. विधुत अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सत्यजित प्रसाद  
08-2-23

जिला समादेष्टा,

-सह-

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,  
हाजीपुर, वैशाली।

अग्निशमन के लिए विन्दु एवं अग्नि प्रकोषण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वर्णित कारवाई हेतु नोटिस।

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की धारा-23 एवं 43 (2)(ख) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2015 के नियम 22(अ)(क)(ख)(ग)(घ)(च) के अन्वय में

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन - **यूसीएन प्रैगोरीयल स्कूल, वाजगली**
2. भवन का निर्माण वर्ष - **2006 ई0**
3. अग्निशमन प्रमाण पत्र (औद्योगिक/अतिम/नवीनीकरण का वर्ष) - **नहीं**
4. बिहार अग्नि प्रकोषण की तिथि - **नहीं**
5. भवन अग्निशमन का प्रकार - **श्रीक्षणिक**
6. उप-ऊंचाई (Sub-occupancy) का प्रकार - **श्रीक्षणिक**
7. स्तरीय ऊँचाई से भवन की ऊँचाई (मीटर में) - **10 मीटर**
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई - **08 फीट**
9. बिजली लाईंस से भवन की दूरी (खंड एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) - **03 मीटर**
10. भवन का आयताकार क्षेत्र (वर्ग मीटर में) - **200x3 = 600/वर्ग मीटर**
11. (सतह और स्टील सहित सभी मजिलों को)
12. मजिलों की संख्या - **G+2**
13. स्टेर/भूतल की संख्या - **नहीं**
14. मजिलों की संख्या - **01**
15. प्रति मजिल औरत प्रयोग घर - **500**
16. मजिलवार (क्षेत्रफल/अधवासियों की संख्या) - **200**
17. मुख्य सड़क/स्ट्रीट (खंड एवं चौड़ाई) - **जौहरी बाजार से सीधा चौक रोड**
18. (पहले सड़क की चौड़ाई) (सुदृढता 12 मीटर/20 मीटर) (व्यास) चौड़ाई - **15 फीट**
19. क्या यह कठिन पत्तन का और पत्तन वाला पथ है? **हाँ**
20. क्या पूर्व अंत (head end) में समाप्त हो रहा है? **नहीं**
21. पहले/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ से वक्र की चौड़ाई - **पश्चिम-रोड-15फीट, उत्तर-रोड-10फीट, दक्षिण-खुला स्थान 50-**
22. अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य पथ का विकास द्वारा की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है? - **चौड़ाई 12फीट ऊँचाई-**
23. यदि पार्किंग/स्थल एवं गार्डन की संख्या - **10 वाहन**
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन भवन से चारों तरफ दूरी - **पठ-रोड-15फीट, उत्तर-रोड-10फीट, दक्षिण-खुला स्थान**
25. प्रवेश द्वार की संख्या - **01**
26. निकलने वाले द्वार की संख्या - **01**
27. प्रवेश/निकलने वाले द्वार में द्वार के तुरंत खुले स्थान - **हाँ**
28. अग्निशमन की भी (खुला/दोहरा) की चौड़ाई/सर्दर की चौड़ाई एवं संख्या/दोहरा के चौड़ाई
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या/संख्या/दोहरा की चौड़ाई/सर्दर की चौड़ाई एवं संख्या/दोहरा
30. बाहरी सीढ़ी (सर्वर) के स्थान से दूरी/सर्दर के मुँह द्वार अंत से सीढ़ियाँ तक की दूरी
31. बाहरी सीढ़ी/सर्दर/दोहरा - **नहीं**
32. बाहरी सीढ़ी का संख्या एवं संख्या - **नहीं**
33. बाहरी सीढ़ी की संख्या एवं संख्या - **नहीं**
34. बाहरी सीढ़ी की संख्या एवं संख्या - **नहीं**

02, 01 1/2 मीटर 06"-10"  
नहीं  
0 1/2 मीटर

35. रायग क्षेत्र (फिक्स मजिल पर/ क्षेत्रफल) - **नहीं**
36. फायर दोक्युमेंट मजिल पर/ क्षेत्रफल - **नहीं**
37. वर अध्यापक गुला रक्षा - **नहीं**
38. फोटिडोर और भाग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/ रास्ता बाधित नहीं) - **रास्ता बाधित नहीं**
39. क्षेत्रगत विज्ञापन की स्थिति - **नहीं**
40. निष्कारण हेतु संरक्षित निकासी संकेत - **हाँ**
41. तलवार से छत दूरी/ जाने का रास्ता/ वेन्टिलेशन/ इत्यादि - **नहीं**
42. फायर रेलिंग संबंधी प्रावधान - **नहीं**
43. कम्पार्टमेंटल इन्डिकेशन - **नहीं**
44. धुंधली निकासी व्यवस्था - **हाँ**
45. विद्युत अधिष्ठापन - **हाँ**
46. सब-स्टेशन/ ट्रांसफॉर्मर - **नहीं**
47. विजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत - **जैनौर - 02 - 35 kb, 15 kb**
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम - **स्पीरि AC - 03 बरद**
49. आसमानी विजली से संरक्षण के प्रावधान - **नहीं**
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) - **नहीं**
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनेल) - **नहीं**
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम - **नहीं**
53. नली रील - **नहीं**
54. वेत सॉजर्स - **नहीं**
55. सूखी राईजर्स - **नहीं**
56. ड्राउन कमर - **नहीं**
57. गार्ड हांड्रेड - **नहीं**
58. भूमिगत स्टेडिक जल टैंक (संख्या/ कुल क्षमता-लीटर) - **नहीं**
59. छत टैंक (संख्या/ कुल क्षमता-लीटर) - **1000x4 = 4000/ लीटर-क्षमता**
60. पम्पों की विवरण - इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/ स्टेडबाय डोजल पम्प/ डिस्काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/ बूस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) - **बावभासेवल - 01, 02 HP**
61. फीटवेल अग्निशमक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/ क्षमता/ गुणवत्ता/ मैन/ क्रमंक/ दूरी/ क्षमता/ रीटिंग का वर्ष/ खरीद का वर्ष/ आईएस आई का मार्क/ रिकॉर्डिंग की तिथि) - **ABC-4.5 kg -**
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष - **नहीं**
63. फायर ड्रोल और फायर आंदर (गवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) - **मॉक ड्रिल लिखा जाता है।**
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी - **नहीं**
65. अन्य विन्दु-प्रवचन-न/स के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

आज दिनांक 16.01.2023 को अग्नि अंकेक्षण किया गया जिसमें अग्नि  
 फीटवेल अग्निशमक यंत्र सक्रिय अवस्था में पाया। सुप्रिन्डेंट मेमोरियल  
 स्कूल तक बड़ी अग्निशमक वाहन लाकर आग बुझाने में कोई परेशानी  
 नहीं हुई रास्ता प्रयाप्त है। इसलिए इन्हे अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र  
 देने की अनुमति दी जाती है।  
 नोट: आसमानी विजली से बचाव हेतु एक गैरिड लागा  
 आवश्यक है।

स्तेपन प्रसाद  
 16-01-23  
 अनुमंडल  
 अग्निशमक मंडल पदाधिकारी  
 हाजापुर (विशाली)